रुचिरा

द्वितीयो भागः

सप्तमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
दिसंबर 2006 पौष 1928

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण
मार्च 2010 चैत्र 1932

पुनर्मुद्रण
फरवरी 2012 माघ 1933
अक्तूबर 2012 आश्विन 1934
अक्तूबर 2013 आश्विन 1935

PD 350T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2010

₹ 45.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा करन प्रैस, ए-215, सैक्टर 83, फ़ेज-2, नोएडा 201301 द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-645-4

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बैंगलूर 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अशोक श्रीवास्तव*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*शिव कुमार*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*गौतम गांगुली*
मुख्य संपादक (संविदा सेवा)	:	*नरेश यादव*
उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*

आवरण
कल्लोल मजूमदार

सज्जा
अरविन्दर चावला

चित्रांकन
कल्लोल मजूमदार

© NCERT not to be republished

पुरोवाक्

2005 ईस्वीयायां राष्ट्रिय-पाठ्यचर्या-रूपरेखायाम् अनुशंसितं यत् छात्राणां विद्यालयजीवनं विद्यालयेतरजीवनेन सह योजनीयम्। सिद्धान्तोऽयं पुस्तकीयज्ञानस्य तस्याः परम्परायाः पृथक् वर्तते, यस्याः प्रभावात् अस्माकं शिक्षाव्यवस्था इदानीं यावत् विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य च मध्ये अन्तरालं पोषयति। राष्ट्रियपाठ्यचर्यावलम्बितानि पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकानि अस्य मूलभावस्य व्यवहारदिशि प्रयत्न एव। प्रयासेऽस्मिन् विषयाणां मध्ये स्थितायाः भित्तेः निवारणं ज्ञानार्थं रटनप्रवृत्तेश्च शिथिलीकरणमपि सम्मिलितं वर्तते। आशास्महे यत् प्रयासोऽयं 1986 ईस्वीयायां राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतौ अनुशंसितायाः बालकेन्द्रित-शिक्षाव्यवस्थायाः विकासाय भविष्यति।

प्रयत्नस्यास्य साफल्यं विद्यालयानां प्राचार्याणाम् अध्यापकानाञ्च तेषु प्रयासेषु निर्भरं यत्र ते सर्वानपि छात्रान् स्वानुभूत्या ज्ञानमर्जयितुं, कल्पनाशीलक्रियाः विधातुं, प्रश्नान् प्रष्टुं च प्रोत्साहयन्ति। अस्माभिः अवश्यमेव स्वीकरणीयं यत् स्थानं, समयः, स्वातन्त्र्यं च यदि दीयेत, तर्हि शिशवः वयस्कैः प्रदत्तेन ज्ञानेन संयुज्य नूतनं ज्ञानं सृजन्ति। परीक्षायाः आधारः निर्धारित-पाठ्यपुस्तकमेव इति विश्वासः ज्ञानार्जनस्य विविधसाधनानां स्रोतसां च अनादरस्य कारणेषु मुख्यतमम्। शिशुषु सर्जनशक्तेः कार्यारम्भप्रवृत्तेश्च आधानं तदैव सम्भवेत् यदा वयं तान् शिशून् शिक्षणप्रक्रियायाः प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम, न तु निर्धारितज्ञानस्य ग्राहकत्वेन एव।

इमानि उद्देश्यानि विद्यालयस्य दैनिककार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनमपेक्षन्ते। यथा दैनिक-समय-सारण्यां परिवर्तनशीलत्वम् अपेक्षितं तथैव वार्षिककार्यक्रमाणां निर्वहणे तत्परता आवश्यकी येन शिक्षणार्थं नियतेषु कालेषु वस्तुतः शिक्षणं भवेत्। शिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य च विधयः ज्ञापयिष्यन्ति यत् पाठ्यपुस्तकमिदं छात्राणां विद्यालयीय-जीवने आनन्दानुभूत्यर्थं कियत् प्रभावि वर्तते, न तु नीरसतायाः साधनम्। पाठ्यचर्याभारस्य निदानाय पाठ्यक्रमनिर्मातृभिः बालमनोविज्ञानदृष्ट्या अध्यापनाय उपलब्ध-कालदृष्ट्या च विभिन्नेषु स्तरेषु विषयज्ञानस्य पुनर्निर्धारणेन प्रयत्नो विहितः। पुस्तकमिदं छात्राणां कृते चिन्तनस्य, विस्मयस्य, लघुसमूहेषु वार्तायाः, कार्यानुभवादि-गतिविधीनां च कृते प्राचुर्येण अवसरं ददाति। पाठ्यपुस्तकस्यास्य विकासाय विशिष्टयोगदानाय

© NCERT not to be republished

राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद् भाषापरामर्शदातृसमितेः अध्यक्षाणां प्रो. नामवरसिंहमहोदयानां, संस्कृतपाठ्यपुस्तकानां मुख्यपरामर्शकानां प्रो. राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागानां, पाठ्यपुस्तकनिर्माणसमितेः सदस्यानाञ्च कृते हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयति। पुस्तकस्यास्य विकासे नैके विशेषज्ञाः अनुभविनः शिक्षकाश्च योगदानं कृतवन्तः, तेषां संस्थाप्रमुखान् संस्थाश्च प्रति धन्यवादो व्याह्रियते। मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य माध्यमिकोच्चशिक्षाविभागेन प्रो. मृणालमिरी प्रो. जी.पी. देशपाण्डेमहोदयानाम् आध्यक्षे संघटितायाः राष्ट्रिय-पर्यवेक्षणसमितेः सदस्यान् प्रति तेषां बहुमूल्ययोगदानाय वयं विशेषेण कृतज्ञाः।

पाठ्यपुस्तकविकासक्रमे उन्नतस्तराय निरन्तरं प्रयत्नशीला परिषदियं पुस्तकमिदं छात्राणां कृते उपयुक्ततरं कर्तुं विशेषज्ञैः अनुभविभिः अध्यापकैश्च प्रेषितानां सत्परामर्शानां सदैव स्वागतं विधास्यति।

नवदेहली
20 नवम्बर 2006

निदेशकः
राष्ट्रियशैक्षिकानुसंधानप्रशिक्षणपरिषद्

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

मुख्य परामर्शक

राधावल्लभ त्रिपाठी, *अध्यक्ष*, संस्कृत विभाग, हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

अर्कनाथ चौधरी, *प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर कैंपस, जयपुर।

कमलाकान्त मिश्र, *पूर्व प्रोफ़ेसर* (संस्कृत), भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

कृष्णचन्द्र त्रिपाठी, *प्रवाचक* (संस्कृत), भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

दु:शासन ओझा, *प्राचार्य*, केंद्रीय विद्यालय, पुरी, ओड़ीशा।

देवकी सेनगुप्ता, *टी.जी.टी.* (संस्कृत), दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, नयी दिल्ली।

नारायण दाश, *शिक्षक* (संस्कृत), सर्वकारीय उच्च विद्यालय, गुम्मा, गजपति, ओड़ीशा।

पुरुषोत्तम मिश्र, *पी.जी.टी.* (संस्कृत), रा. व. मा. बा. विद्यालय, नं. 1, मॉडल टाउन, दिल्ली।

पूर्वा भारद्वाज, निरंतर, नयी दिल्ली।

राजेश्वर प्रसाद मिश्र, *प्रोफ़ेसर* (संस्कृत), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा।

वासुदेव शास्त्री, *संस्कृत प्रभारी* (सेवानिवृत्त), एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।

सुगन्ध पाण्डेय, *टी.जी.टी.* (संस्कृत), केंद्रीय विद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तरांचल।

सदस्य एवं समन्वयक

रणजित बेहेरा, *प्रवक्ता* (संस्कृत), भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उन सभी विषय-विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया है।

परिषद् डॉ. रामास्वामी आयंगर, *निदेशक* (अवकाश प्राप्त), चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, बेंगलूरु एवं डॉ. विभा रानी दूबे, *रीडर* (संस्कृत), महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी की आभारी है, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में अपना यथासंभव योगदान दिया है।

परिषद् डॉ. विश्वास एवं डॉ. सम्पदानन्द मिश्र के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिनकी रचनाओं से इस पुस्तक में पाठ्य-सामग्री ली गई है।

पुस्तक निर्माण में सहयोग के लिए परशुराम कौशिक, *प्रभारी,* कंप्यूटर स्टेशन, भाषा विभाग; आलोक कुमार शर्मा, *शोध सहायक* तथा *डी.टी.पी. ऑपरेटर* नरेन्द्र कुमार वर्मा, कमलेश आर्या एवं राजीव धन्यवाद के पात्र हैं।

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति

राधावल्लभ त्रिपाठी, *कुलपति*, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जनकपुरी, नयी दिल्ली।

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष*, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

उमा शंकर शर्मा ऋषि, *पूर्व विभागाध्यक्ष*, संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।

कृष्णचन्द्र त्रिपाठी, *प्रोफ़ेसर* (संस्कृत), भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

पंकज कुमार मिश्र, *प्रवक्ता* (संस्कृत), सेंट स्टीफ़ेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

राघवेन्द्र प्रपन्न, *प्रवक्ता*, एम. वी. कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, दिल्ली।

पूर्वा भारद्वाज, निरंतर, नयी दिल्ली।

पुरुषोत्तम मिश्र, *पी.जी.टी.* (संस्कृत), रा. व. मा. बा. विद्यालय, नं. 1, मॉडल टाउन, दिल्ली।

सुगन्ध पाण्डेय, *टी.जी.टी.* (संस्कृत), केंद्रीय विद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।

रणजित बेहेरा (समन्वयक), *प्रवक्ता* (संस्कृत), भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

© NCERT not to be republished

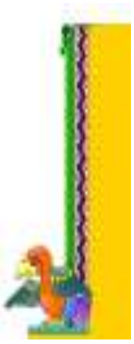

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मागे,
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगल-दायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे!

हमारा राष्ट्र-गान रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलत: बांग्ला भाषा में रचा गया था। भारत के राष्ट्र-गान के रूप में इसके हिंदी रूपांतरण का अंगीकार संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को किया गया।

© NCERT not to be republished

भूमिका

संस्कृत भाषा प्राचीनकाल से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान आदि विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है। संस्कृत के व्याकरण एवं वाक्य संरचना का प्रभाव भी आधुनिक भारतीय भाषाओं पर परिलक्षित होता है। सम्प्रेषणात्मक उपागम के आधार पर संस्कृत के शिक्षण को विद्यालय स्तर पर सुगम, रुचिकर एवं सुग्राह्य रूप में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्वीकृत पाठ्यक्रम के क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्त्वावधान में संस्कृत की नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भाषा-विभाग द्वारा उच्चप्राथमिक स्तर पर तीन भागों में विकसित होने वाली नवीन पुस्तक शृङ्खला **रुचिरा** का विकास किया गया है। इनमें वैविध्यपूर्ण ज्ञानवर्धक सामग्री दी गई है।

रुचिरा पुस्तक शृङ्खला अपने नाम के अनुसार रुचिवर्धक सामग्री से विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं में संस्कृत भाषा के प्रयोग में कुशलता तो प्रदान करेगी ही, साथ ही संस्कृत साहित्य की ओर सम्मान पैदा करेगी।

इसी शृङ्खला का द्वितीय पुष्प **रुचिरा द्वितीयो भागः** छात्र-छात्राओं के लिए प्रस्तुत है। इस पुस्तक के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों की अन्तःक्रिया प्रश्नोत्तर माध्यम से संस्कृत में ही हो जिससे विद्यार्थी संस्कृत के सरल वाक्यों को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कुशलता विकसित कर सकें।

संस्कृत भाषा की छन्दःसम्पदा की लय एवं गेयता का आनन्द छात्रों को प्राप्त हो, एतदर्थ कुछ नवीन गीत भी इस पुस्तक में दिये गए हैं। पाठ्य-सामग्री को रोचक बनाने के लिए कुछ पाठों की रचना संवाद अथवा नाट्य-शैली में की गई है। वर्णनात्मक-पाठों *'पण्डिता रमाबाई'*, *'विश्वबन्धुत्वम्'* *'अमृतं संस्कृतम्'* और *'अनारिकायाः जिज्ञासा'* में एवं कथा पाठों *'दुर्बुद्धिः विनश्यति'*, *'स्वावलम्बनम्'*, *'समवायो हि दुर्जयः'* आदि में प्रेरणास्पद विषयवस्तु को प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक पाठों में छात्रों को आनन्द की अनुभूति हो सके, इसके लिए *'हास्यबालकविसम्मेलनम्'* जैसे पाठों को भी स्थान दिया गया है। राष्ट्रध्वज के महत्त्व को बताने के लिए संवादात्मक शैली में *'त्रिवर्णः ध्वजः'* पाठ को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। पद्य-पाठों के अन्तर्गत *'सुभाषितानि'*, *'सदाचारः'*, *'विमानयानं रचयाम'*, *'विद्याधनम्'* तथा नवीन विधा लोरी के रूप में *'लालनगीतम्'* आदि पाठों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी बातें बताई गई हैं। इस पुस्तक में नाटक के रूप में *'सङ्कल्पः सिद्धिदायकः'* पाठ का समावेश किया गया है। इस प्रकार इस पुस्तक में कुल 15 पाठ हैं। कठिन शब्दों का अर्थ-बोध कराने के लिए

© NCERT not to be republished

छात्रों की सुविधा हेतु प्रत्येक पाठ के अन्त में दिये गए शब्दार्थ (संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेज़ी) पुस्तक की विशेषता है। पाठान्त में विविध प्रश्नों वाली अभ्यास-चारिका दी गई है जिससे भाषा-संरचनात्मक-ज्ञान की वृद्धि में विद्यार्थियों को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त '*ध्यातव्यम्*' के माध्यम से विद्यार्थी तत्सम्बन्धी अन्य पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे तथा आकर्षक चित्रों के आधार पर स्वकल्पना से सरल वाक्यों का निर्माण भी कर सकेंगे। पुस्तक के अन्त में '*परिशिष्टम्*' के अन्तर्गत कारक और विभक्तियों का परिचय दिया गया है जिससे विद्यार्थी इनके अन्तर को समझ सकें। साथ ही पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दों एवं धातुओं में से कुछ प्रमुख शब्दों तथा धातुओं के रूप भी दिये गए हैं जिनके आधार पर विद्यार्थी अन्य शब्दों एवं धातुओं के रूपों का निर्माण कर सकें।

संक्षेप में **रुचिरा द्वितीयो भागः** में निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया गया है-

- संस्कृत शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण
- प्रदत्त निर्देशों के आधार पर प्रश्नोत्तर एवं प्रश्न-निर्माण का कौशल
- भाषिक तत्त्वों (श्रवण, भाषण, पठन तथा लेखन) का कौशल
- जीवनमूल्यों से युक्त संस्कृत-पाठों का परिचय
- संस्कृत में सामान्य वार्तालाप कर सकने की क्षमता
- संस्कृत की वर्तनी को शुद्ध रूप में जानने और लिखने की क्षमता
- रोचक कथाओं को पढ़कर घटनाक्रम का संयोजन कर सकने का सामर्थ्य
- अध्यापन बिन्दुओं पर आधारित ज्ञानवर्धक अभ्यास
- प्रत्येक पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ

शिक्षक की भूमिका

कोई भी पाठ्यक्रम तथा पुस्तक कितनी ही वैज्ञानिक और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, अध्यापन-कार्य में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। जहाँ अध्यापन की सफलता के लिए तकनीकी शैली से युक्त पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा रहती है, वहीं दूसरी ओर पाठ्यपुस्तकों में निहित व्याकरण-सम्बन्धी बिन्दुओं और भाषिक तत्त्वों के प्रायोगिक अभ्यास हेतु कुशल अध्यापन शैली भी अपेक्षित है। आशा की जाती है कि शिक्षकगण प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से भाषा के अपेक्षित कौशलों को विद्यार्थियों तक पहुँचाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। दृश्य-प्रसङ्गों तथा गीतों को हृदयङ्गम बनाने के लिए यथावसर दृश्य-श्रव्य यान्त्रिक माध्यमों का ोग अपेक्षित है। जो पाठ संवाद-परक हैं, उनका विद्यार्थियों से अभिनय भी कराया जा ता है।

यद्यपि इस संकलन को विद्यार्थियों के अनुरूप बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है, पि इसको और अधिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के लिए अनुभवी संस्कृत ापकों के बहुमूल्य सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे।

© NCERT not to be republished

पाठानुक्रमणिका

	पुरोवाक्	*iii*
	भूमिका	*ix*
प्रथमः पाठः	सुभाषितानि	1
द्वितीयः पाठः	दुर्बुद्धिः विनश्यति	6
तृतीयः पाठः	स्वावलम्बनम्	12
चतुर्थः पाठः	हास्यबालकविसम्मेलनम् (*अव्ययप्रयोगः*)	18
पञ्चमः पाठः	पण्डिता रमाबाई	25
षष्ठः पाठः	सदाचारः	30
सप्तमः पाठः	सङ्कल्पः सिद्धिदायकः (*धातुप्रयोगः*)	35
अष्टमः पाठः	त्रिवर्णः ध्वजः	45
नवमः पाठः	विमानयानं रचयाम	50
दशमः पाठः	विश्वबन्धुत्वम् (*कारकविभक्तिः उपपदविभक्तिश्च*)	54
एकादशः पाठः	समवायो हि दुर्जयः	60
द्वादशः पाठः	विद्याधनम्	65
त्रयोदशः पाठः	अमृतं संस्कृतम् (*इकारान्तस्त्रीलिङ्गः*)	70
चतुर्दशः पाठः	अनारिकायाः जिज्ञासा (*ऋकारान्तपुँल्लिङ्गः*)	76
पञ्चदशः पाठः	लालनगीतम्	81
परिशिष्टम्	वर्णविचारः, कारकम्, शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च	86

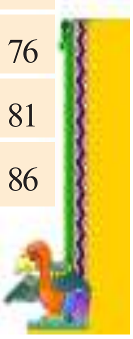

© NCERT not to be republished

बाल अधिकार घोषणा-पत्र

अट्ठारह साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। बच्चे की देख-रेख और पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर माँ-बाप पर होती है। राज्य प्रत्येक बच्चे के अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति

* मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का हक है। *(अनुच्छेद 42)*
* बच्चा होने के नाते मुझे अधिकार मिले हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता/रहती हूँ, मेरे माँ-बाप क्या करते हैं, मेरी भाषा क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं लड़का हूँ या लड़की, मेरी संस्कृति कौन-सी है, मैं विकलांग हूँ या नहीं, मैं गरीब हूँ या अमीर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी आधार पर मेरे इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, सभी को यह बात जाननी चाहिए। *(अनुच्छेद 2)*
* मुझे अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। सभी की यह ज़िम्मेदारी है कि वे दूसरों की बात सुनें। *(अनुच्छेद 12, 13)*
* मुझे गलती करने का अधिकार है और सभी को मानना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। *(अनुच्छेद 28)*
* मुझे सभी कार्रवाइयों में शामिल होने का अधिकार है, चाहे मेरी क्षमताएँ भिन्न हैं। सभी को दूसरों की भिन्न क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। *(अनुच्छेद 23)*

विकास

* मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और यह हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। *(अनुच्छेद 23, 28, 29)*
* मुझे अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा का अधिकार है और यह प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों को भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और पीने का साफ़ पानी मुहैया कराने में मदद करे। *(अनुच्छेद 24)*
* मुझे भरपेट खाने का अधिकार है और हर व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह किसी को भी भूखा न मरने दे। *(अनुच्छेद 24)*
* मुझे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है और हर व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इसे प्रदूषित न करे। *(अनुच्छेद 29)*
* मुझे खेलने और आराम करने का अधिकार है। *(अनुच्छेद 31)*

देखभाल और सुरक्षा

* मेरा अधिकार है कि मुझे प्यार मिले और किसी भी तरह के दुराचार व नुकसान से मुझे बचाया जाए। हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों की देखभाल करे व उनके साथ स्नेह भाव से रहे। *(अनुच्छेद 19)*
* मुझे सुरक्षित परिवार तथा आरामदेह घर का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात का खयाल रखे कि सभी बच्चों को परिवार और घर मिले। *(अनुच्छेद 9, 27)*
* मुझे अपनी विरासत और मान्यताओं पर गर्व करने का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों की संस्कृति व मान्यताओं का सम्मान करे। *(अनुच्छेद 29, 30)*
* मुझे हिंसा (मौखिक, शारीरिक, भावात्मक) के बिना जीवन जीने का अधिकार है। हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वह किसी के साथ अत्याचार न करे। *(अनुच्छेद 28, 37)*
* मुझे आर्थिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर एक की यह ज़िम्मेदारी है कि वह किसी भी बच्चे को काम पर न रखे और बच्चों को एक आज़ाद और सुरक्षित माहौल मुहैया कराए। *(अनुच्छेद 32, 34)*
* मुझे किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात का खयाल रखे कि कोई किसी भी तरह से मुझे इस्तेमाल न करे और मेरा फ़ायदा न उठाए। *(अनुच्छेद 36)*

बच्चों से संबंधित सभी कार्रवाइयों में बच्चों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी

ये सारे अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कनवेंशन, 1989 में उल्लिखित हैं। इस कनवेंशन में उन सारे अधिकारों को शामिल किया गया है, जो दुनिया भर के बच्चों को मिले हुए हैं। भारत सरकार ने इस दस्तावेज़ पर 1992 में दस्तखत किए थे।

स्रोत –राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.), भारत सरकार

© NCERT not to be republished